न्यूज़ टुडे

रक्षा मंत्री के अनुसार "अग्रणी प्रौद्योगिकियों में निपुणता हासिल करना समय की मांग है"

अग्रणी प्रौद्योगिकियां जैसे कि **AI आधारित वारफेयर, प्रॉक्सी वारफेयर, अंतरिक्ष आधारित वारफेयर और साइबर हमले पारंपरिक वारफेयर के स्वरूप को बदल** रहे हैं। इससे देशों की सुरक्षा के समक्ष बड़ी चुनौती उत्पन्न हो रही है।

वर्तमान वारफेयर में उपयोग की जाने वाली अग्रणी प्रौद्योगिकियां

- **AI आधारित वारफेयर:** AI आधारित साधन जटिल निर्णयों जैसे लक्ष्य का चयन करने, असैन्य क्षति का आकलन करने, सुझाव प्रदान करने आदि में सहायता के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। **उदाहरण के लिए AI संचालित ड्रोन।**
- **इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर:** यह युद्ध क्षेत्र में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा का उपयोग कर आक्रामक और रक्षात्मक प्रभाव उत्पन्न करने की सैन्य क्षमता है।
- **अंतरिक्ष आधारित वारफेयर:** बाहरी अंतरिक्ष में सैन्य अभियान सामरिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गतिज (भौतिक) और गैर-गतिज (इलेक्ट्रॉनिक, साइबर) दोनों साधनों का उपयोग कर सकते हैं। **उदाहरण के लिए एंटी-सैटेलाइट (ASAT) हथियार।**
- **साइबर हमले:** कंप्यूटर सिस्टम में अवैध रूप से प्रवेश करके किसी देश के महत्वपूर्ण डेटा को चुरा लिया जाता है। **उदाहरण के लिए कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में साइबर सुरक्षा हमला।**

अग्रणी प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम:

- **रक्षा AI परिषद (DAIC) और रक्षा AI परियोजना एजेंसी (DAIPA)** की स्थापना की गई है।
- **प्रोजेक्ट सीकर:** यह भारतीय थल सेना की AI-आधारित फेस रिकॉग्निशन, निगरानी और मॉनिटरिंग प्रणाली है।
- **'अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास - 2024':** सैन्य अभियानों में भारत की अंतरिक्ष वारफेयर क्षमता को एकीकृत करने के लिए पहला अंतरिक्ष अभ्यास।
- **DRDO युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं:** इसका उद्देश्य वारफेयर से जुड़ी उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में नवीन समाधान प्रदान करना है।

अग्रणी प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दे

- **अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां:** तकनीकी क्षमताओं में असमानता और गैर-राज्य अभिकर्ताओं को उन्नत प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता के कारण वैश्विक अस्थिरता का खतरा बढ़ गया है।
- **कानूनी खामियां:** वारफेयर में इन प्रौद्योगिकियों के उपयोग के मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अभाव के चलते मानवाधिकार उल्लंघन की संभावना बढ़ जाती है।
- **दोहरे उपयोग संबंधी दुविधा:** शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बनाई गई प्रौद्योगिकियां सैन्य उपयोग के लिए पुनः उपयोग की जा सकती हैं। इससे असैन्य और सैन्य तकनीक के बीच का दायरा समाप्त हो जाता है।
- **अन्य मुद्दे:** एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह के जोखिम, जवाबदेही के मुद्दे, AI आधारित हथियारों की होड़ की संभावना आदि।

भारत में 2024 में इंटरनेट शटडाउन की कम घटनाएं दर्ज की गई

सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर के आंकड़ों के अनुसार, भारत में **2024 में 60 बार इंटरनेट शटडाउन** किया गया था, जो **पिछले 8 वर्षों में सबसे कम है।**

- **संयुक्त राष्ट्र ने 2016 में इंटरनेट की उपलब्धता को मौलिक मानवाधिकार** घोषित किया था।
- इंटरनेट का उपयोग **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs)** को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे:
  - **शिक्षा** (SDG-4);
  - **लैंगिक समानता** (SDG-5);
  - **असमानताओं में कमी** (SDG-10) आदि।

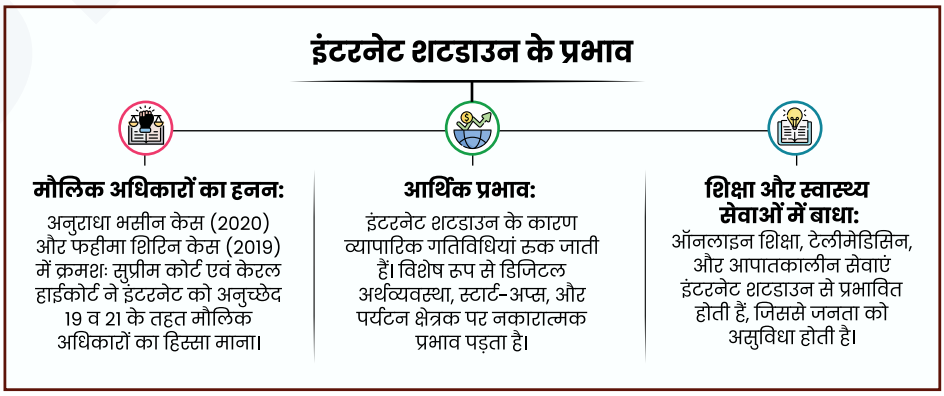

भारत में इंटरनेट शटडाउन से संबंधित क़ानूनी प्रावधान

- **संवैधानिक प्रावधान:** संविधान का **अनुच्छेद 19(2)** सरकार को राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था आदि के लिए बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर तर्कसंगत प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है।
  - इंटरनेट शटडाउन का उपयोग **गलत सूचना, विरोध या अशांति** आदि को नियंत्रित करने के लिए किया जाता रहा है।
- **अधिनियम:**
  - **टेलीग्राफ अधिनियम, 1885:** इस अधिनियम के तहत बनाए गए **दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017** के अंतर्गत लोक आपात या लोक सुरक्षा के मामलों में इंटरनेट सहित दूरसंचार सेवाओं को निलंबित किया जा सकता है।
  - तत्कालीन **दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 144** (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163)।
- **अनुराधा भसीन केस (2020) का निर्णय:** सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि **इंटरनेट पर प्रतिबंध अस्थायी, वैध, आवश्यक और तर्कसंगत** होने चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) का दिसंबर, 2024 का अंक जारी किया

यह रिपोर्ट एक **छमाही प्रकाशन** है। इसमें वित्तीय क्षेत्रक के सभी विनियामकों का योगदान होता है।

- यह रिपोर्ट **वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद् की उप-समिति** का सामूहिक आकलन प्रस्तुत करती है। इसमें भारतीय वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के समक्ष वर्तमान और उभरते जोखिमों को उजागर किया जाता है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

- **लचीली भारतीय अर्थव्यवस्था:** 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में **6.6% की दर से वृद्धि** होने का अनुमान है। इसमें ग्रामीण उपभोग, सरकारी व्यय और सेवा के निर्यात में बढ़ोतरी से सहायता मिलेगी।
- **सरकारी वित्त:** केंद्र सरकार का **ऋण-GDP अनुपात** महामारी (2020-21) के दौरान 62.7% के उच्चतम स्तर पर था। इसके **2024-25 तक घटकर 56.8%** हो जाने की उम्मीद है।
  - **राज्यों की बकाया देनदारियां 31% से घटकर 28.8%** हो जाने का अनुमान है।
- **स्थिर वित्तीय प्रणाली:** अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) की मजबूती में वृद्धि हुई है। ऐसा **बेहतर लाभप्रदता, घटती गैर-निष्पादित परिसम्पतियों (NPAs) और पर्याप्त पूंजी व चलनिधि बफर** के कारण संभव हुआ है।

वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (FSDC) के बारे में

- **उत्पत्ति:** यह **गैर-सांविधिक निकाय** है। इसे सरकार द्वारा **2010** में शीर्ष स्तरीय मंच के रूप में स्थापित किया गया था।
- **अध्यक्ष: केंद्रीय वित्त मंत्री।**
- **सदस्य: वित्तीय क्षेत्रक के विनियामकों (RBI, SEBI, PFRDA, IRDA और FMC) के प्रमुख, वित्त सचिव,** आदि। 2018 में, FSDC को पुनर्गठित किया गया था तथा इसमें और अधिक सदस्य जोड़े गए थे।
- **कार्य:** यह वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्रक के विकास और परस्पर विनियामकीय समन्वय जैसे मुद्दों से संबंधित कार्यों को देखती है।

केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CP-GRAMS) ने पिछले 3 वर्षों में 70 लाख से अधिक शिकायतों का सफलतापूर्वक समाधान किया

CPGRAMS नागरिकों की चिंताओं का त्वरित समाधान प्रदान करके **सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका** निभा रही है।

- 2019 से 2024 तक 25 लाख से अधिक नागरिकों ने CPGRAMS प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराया है।
- 2024 में **जन शिकायतों के समाधान में औसतन 12 दिन लगे**। 2022 में शिकायतों के समाधान में औसतन **22 दिन** लगते थे।

केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) क्या है?

- **परिचय:** CPGRAMS नागरिकों द्वारा **शिकायतें दर्ज कराने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म** है। नागरिक, **सेवा वितरण से जुड़े किसी भी विषय पर सरकारी संस्थाओं या अधिकारियों के समक्ष** अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं।
- इस प्लेटफॉर्म पर **24 घंटे और सातों दिन यानी किसी भी समय शिकायत दर्ज** की जा सकती है।
- **भारत सरकार और राज्य सरकारों के सभी मंत्रालयों एवं विभागों से जुड़ी शिकायतें एक ही पोर्टल पर** दर्ज की जा सकती हैं।
- इस प्लेटफॉर्म का विकास भारत सरकार के **प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG)** ने किया है। यह विभाग शिकायतों के समाधान पर भी नजर रखता है।
- **वैश्विक मान्यता:** राष्ट्रमंडल सचिवालय ने CPGRAMS को शासन व्यवस्था में ऐसी **सर्वोत्तम पद्धति** के रूप में मान्यता दी है, जिसे **राष्ट्रमंडल देशों में अपनाया** जा सकता है।

CPGRAMS को बेहतर बनाने के लिए मुख्य सुधार: ये सुधार CPGRAMS के 10-चरणीय सुधारों का हिस्सा हैं। **इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:**

- **प्रौद्योगिकियों को अपनाना:** शिकायतों को प्राथमिकता देने, शिकायतों के पैटर्न का पता लगाने और व्यवस्था संबंधी खामियों का पता लगाने के लिए **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग (AI/ML) जैसी तकनीकों का उपयोग** बढ़ाया जाएगा।
- **अलग-अलग भाषाओं में अनुवाद:** AI-आधारित **भाषिणी** को CPGRAMS के साथ एकीकृत किया जा रहा है। इससे जिस भाषा में शिकायत दर्ज की गई है, **उसी भाषा में उनके समाधान** उपलब्ध कराए जाएंगे।
- **शिकायत निवारण का मूल्यांकन और सूचकांक:** इससे पता चल पाएगा कि **शिकायतों के निवारण में कौन से मंत्रालय और विभाग कितने प्रभावी** हैं। इससे **दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मंत्रालयों एवं विभागों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा** को बढ़ावा मिलेगा।
  - इस सूचकांक में मंत्रालयों/ विभागों के **मूल्यांकन के 4 आयाम एवं 11 संकेतक** हैं।
    - **मूल्यांकन के 4 आयाम हैं-** दक्षता, फीडबैक, डोमेन और संगठन की प्रतिबद्धता।

इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट (स्पाडेक्स/ SpaDeX) मिशन लॉन्च किया

स्पाडेक्स को **श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश) के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C60 रॉकेट** के जरिए लॉन्च किया गया है। इसके साथ **24 PS4-ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल (POEM-4) पेलोड** भी भेजा गया है।

- अंतरिक्ष यान को अन्य इसरो केंद्रों के सहयोग से **यूआर राव सैटेलाइट सेंटर (URSC)** ने डिजाइन और विकसित किया है।
  - **यू आर राव सैटेलाइट सेंटर (URSC) बेंगलुरु** में स्थित है। यह **सैटेलाइट्स के निर्माण और संबंधित सैटेलाइट प्रौद्योगिकियों के विकास** के लिए इसरो का प्रमुख केंद्र है।

स्पाडेक्स मिशन पर एक नजर

- **कक्षा:** 55° झुकाव पर **पृथ्वी से 470 किलोमीटर की ऊंचाई** पर वृत्ताकार कक्षा।
- **मिशन लाइफ:** डॉकिंग के बाद, मिशन का परिचालन **दो साल** तक जारी रहेगा।
- **उद्देश्य:**
  - **प्राथमिक:** वृत्ताकार निम्न-भू कक्षा में **दो लघु अंतरिक्ष यानों के रेन्डेज़वस (rendezvous/ नजदीक आना), डॉकिंग और अनडॉकिंग** के लिए आवश्यक तकनीक का विकास एवं प्रदर्शन करना।
    - **ये दो लघु अंतरिक्ष यान हैं-** SDX01 (चेज़र), और SDX02 (टारगेट))।
  - **द्वितीयक:** डॉकिंग के जरिए जुड़े अंतरिक्ष यानों के मध्य बिजली का आदान-प्रदान और अनडॉकिंग के बाद दोनों अंतरिक्ष यानों का संयुक्त प्रणाली के रूप में काम करना एवं किसी भी कार्य या प्रयोग (पेलोड संचालन) को प्रबंधित करना।
- **विकसित की गई स्वदेशी प्रौद्योगिकियां:**
  - **इंटर-सेटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक (ISL):** यह तकनीक अंतरिक्ष यान के बीच स्वायत्त संचार के लिए विकसित की गई है।
  - **GNSS आधारित नॉवेल रिलेटिव ऑर्बिट डिटरमिनेशन एंड प्रोपेगेशन (RODP) प्रोसेसर:** इस तकनीक का उपयोग अन्य अंतरिक्ष यान की सापेक्ष स्थिति और वेग निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
    - **ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS)** सैटेलाइट्स के ऐसे समूह को संदर्भित करता है, जो ग्लोबल पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग संबंधी सेवाएं प्रदान करता है, उदाहरण के लिए- **गैलीलियो (EU) GPS (अमेरिका) आदि।**
  - **इस मिशन को सक्षम करने के लिए अन्य विकसित की गई स्वदेशी प्रौद्योगिकियां:** डॉकिंग तंत्र, सेंसर सूट, स्वायत्त रेन्डेज़वस, डॉकिंग रणनीति आदि।

मिशन का महत्त्व

- **आत्मनिर्भरता:** भारत का लक्ष्य अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक हासिल करने वाला **चौथा देश** बनना है। पहले तीन देश **चीन, रूस व संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।**
- **भविष्य के मिशनों के लिए सक्षमकर्ता:** यह प्रौद्योगिकी भारत की अंतरिक्ष संबंधी महत्वाकांक्षाओं जैसे चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भेजना, चंद्रमा से नमूना वापसी, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) का निर्माण आदि के लिए आवश्यक है।
- **अंतरिक्ष संचालन में लागत-दक्षता:** यह एक **लागत-प्रभावी तकनीक** है, जो सामान्य मिशन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई रॉकेट लॉन्च करने में सक्षम बनाएगी।

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने 'इंडस्ट्री 4.0 अपनाने और भारतीय विनिर्माण के लिए रणनीतिक रोडमैप रिपोर्ट' जारी की

इंडस्ट्री 4.0 से आशय **"स्मार्ट" और कनेक्टेड उत्पादन प्रणालियों** से है, जिन्हें वास्तविक दुनिया को समझने, पूर्वानुमान करने और इससे अंतर्क्रिया करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- दूसरे शब्दों में कहें तो इंडस्ट्री 4.0 **विनिर्माण प्रक्रिया का डिजिटल रूपांतरण** है। इसमें **दक्षता और उत्पादकता में सुधार करने के लिए इंटेलिजेंट प्रौद्योगिकियों का उपयोग** किया जाता है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **भारत में इंडस्ट्री 4.0 अपनाने की स्थिति:** इस मामले में **ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्रक सबसे आगे** हैं। वहीं प्रौद्योगिकी को अपनाने में **टेक्सटाइल, धातु और खनन** क्षेत्रकों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
- **भारत में इंडस्ट्री 4.0 के प्रमुख चालक**
  - इंडस्ट्री 4.0 अपनाने में भारत के लिए अनुकूल पक्ष **कार्यबल का कौशल विकास, डिजिटल अवसंरचना और संधारणीयता** है।
    - विनिर्माण प्रक्रिया को संधारणीय बनाने से **ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पर विश्व के उपभोक्ताओं और विनियामक संस्थाओं की अपेक्षाओं** को पूरा करने में मदद मिल रही है।

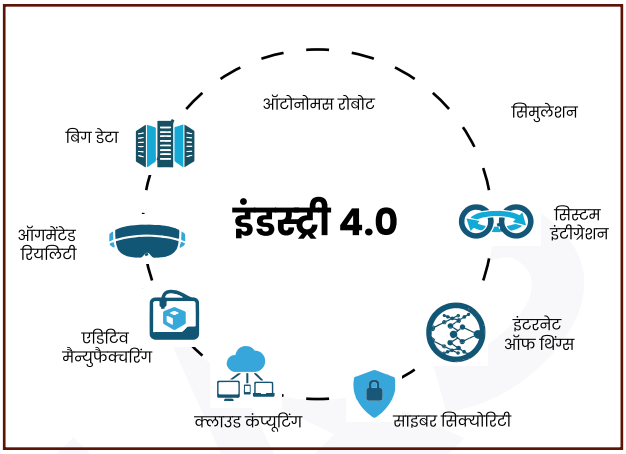

- **इंडस्ट्री 4.0 को अपनाने में बाधाएं**
  - **जागरूकता की कमी:** कई MSMEs को इंडस्ट्री 4.0 को अपनाने की **लागत के बदले इससे मिलने वाले लाभों के बारे में समझ की कमी** है।
  - **तकनीकी बाधाएं:**
    - **पुरानी प्रक्रियाओं को छोड़ने की अनिच्छा:** कई संगठनों को विनिर्माण प्रक्रिया को आधुनिक तकनीक के साथ एकीकृत करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
    - **डेटा एकीकरण:** पुराने सिस्टम में **बिग डेटा के प्रबंधन में चुनौतियों का सामना** करना पड़ रहा है।
    - **साइबर अटैक का खतरा:** डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़ने से साइबर अटैक का खतरा बढ़ने की आशंका भी संगठनों को नई तकनीकों को अपनाने से रोक रही है।
  - **वित्तीय बाधाएं:** नई तकनीकों को अपनाने में **शुरुआत में अधिक निवेश** की जरुरत पड़ती है। साथ ही, इन **तकनीकों के रखरखाव की लागत भी कम नहीं** है। शुरुआती निवेश के लिए फंड आसानी से नहीं मिलता है।
  - **मानव संसाधन से संबंधित चुनौतियां:** तकनीक में कुशल श्रमिकों की कमी है। इसके अलावा, नई तकनीकों को अपनाने का पारंपरिक रूप से समाज में विरोध किया जाता है।
- **आगे की राह**
  - **वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) का लाभ** उठाना चाहिए। ये MSMEs को **वैश्विक बाजारों तक पहुंचने** और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए **असीमित अवसर** प्रदान करती हैं।
  - डिजिटल तकनीक को अपनाने की **व्यापक रणनीतियां** बनाई जानी चाहिए। इन्हें **अलग-अलग चरणों में लागू करने के लिए रोडमैप** तैयार करना चाहिए।
  - **ध्यान देने योग्य अन्य क्षेत्र:**
    - **AI और ऑटोमेशन जैसी मुख्य तकनीकों** को अपनाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए;
    - **कार्यबल के कौशल विकास में निवेश** बढ़ाना चाहिए, आदि।

इंडस्ट्री 4.0 हेतु सरकारी सहायता और नीतिगत उपाय

- **समर्थ उद्योग भारत 4.0:** इसके तहत अत्याधुनिक विनिर्माण तकनीकों को अपनाने में तेजी लाने के लिए **अवसंरचना संबंधी और प्रशिक्षण रूपी सहायता** दी जाती है।
- **मेक इन इंडिया 2.0 पहल:** इसके तहत **हाई-टेक विनिर्माण में निवेश** आकर्षित करने को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- **डिजिटल इंडिया पहल:** इसका उद्देश्य बेहतर कनेक्टिविटी और अनुकूल नवाचार इकोसिस्टम प्रदान करके डिजिटल सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है।

अन्य सुर्खियां

गैर-सरकारी विधेयक (Private Members' Bill)

17वीं लोक सभा ने **गैर-सरकारी विधेयकों पर चर्चा के लिए केवल 9.08 घंटों** का समय दिया।

गैर-सरकारी विधेयक' के बारे में

- यह एक प्रकार का **विधायी प्रस्ताव** है। इसे संसद के उन **व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं।**
- **विधेयक प्रस्तुत करने और चर्चा के लिए समय का आवंटन:** लोक सभा में प्रत्येक शुक्रवार को बैठक के **अंतिम ढाई घंटे** गैर-सरकारी विधेयकों के लिए आवंटित किए जाते हैं।
  - राज्य सभा में **एक शुक्रवार के अंतराल पर बैठक के अंतिम ढाई घंटे** आवंटित किए जाते हैं।
- विधेयक पेश करने के लिए **1 महीने का नोटिस** देना होता है।
- आज तक, **केवल 14 गैर-सरकारी विधेयक पारित** किए गए हैं और उन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है।
  - **अंतिम बार 1970 में किसी गैर-सरकारी विधेयक को संसद में पारित** किया गया था।

तटीय सुरक्षा योजना

कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, तटीय सुरक्षा योजना के चरण-I और चरण-II की हालिया समीक्षा के दौरान, **13 तटीय राज्यों में गंभीर खामियों को उजागर** किया गया।

तटीय सुरक्षा योजना के बारे में

- इस योजना के चरण-I (2005-2011) और चरण-II (2012-2020) सभी **तटीय राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित** किए गए हैं।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **समुद्री गश्त के लिए तटीय राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करना और अन्य तटीय सुरक्षा पहलों को समर्थन** प्रदान करना है।
  - योजना के तहत **जेटी, समुद्री परिचालन केंद्र, मोटरसाइकिल आदि सुविधाओं के रूप में सहायता** दी जाती है।
- **योजना की वर्तमान स्थिति:** इस योजना के तहत लगभग **204 तटीय पुलिस स्टेशन** कार्य करने लगे हैं।

गंभीर प्रकृति की विपदा (Calamity of Severe Nature)

अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (IMCT) ने **वायनाड भूस्खलन को 'गंभीर प्रकृति की विपदा'** घोषित किया।

'गंभीर प्रकृति की विपदा' के बारे में

- **वैधानिक प्रावधान:** राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) या राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के दिशा-निर्देशों में प्राकृतिक विपदा को 'गंभीर प्रकृति की विपदा' घोषित करने के लिए **कोई विशिष्ट मानदंड नहीं** दिया गया है।
- हालांकि, अधिक जान-माल के नुकसान और उसकी गंभीरता के आधार पर, केंद्र सरकार इसे 'गंभीर प्रकृति की विपदा' मानती है।
  - यह वर्गीकरण आमतौर पर **अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (IMCT) की सिफारिशों पर आधारित** होता है।
- **वित्तीय सहायता:** "गंभीर प्रकृति की विपदा" से निपटने के लिए, राज्य को अपने SDRF में उपलब्ध शेष राशि के अलावा **NDRF से भी अतिरिक्त धनराशि** मिलती है।

पैंगोंग झील

भारतीय थल सेना ने पैंगोंग झील के तट पर शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया।

पैंगोंग झील के बारे में

- **अवस्थिति:** यह झील **पूर्वी लद्दाख में 4350 मीटर की ऊंचाई पर** स्थित है। पैंगोंग झील **विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे जल की झील** है।
- **क्षेत्रफल:** यह झील लगभग **160 किलोमीटर क्षेत्र में फैली** है। **पैंगोंग झील का एक तिहाई हिस्सा भारत में और दो तिहाई हिस्सा चीन में** है।
- **मुख्य विशेषताएं:**
  - यह **एंडोर्फिक यानी चारों ओर से भूमि से घिरी** हुई झील है।
  - इस झील का पानी **समय-समय पर नीला, हरा और लाल** दिखाई देता है।
  - इस झील का नाम **तिब्बती भाषा की शब्दावली "पैंगोंग त्सो"** से लिया गया है। इसका अर्थ है **"ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान वाली झील।"**

H1-B वीजा

हाल ही में, H1-B वीज़ा की **कुल स्वीकृतियों में से 70% से अधिक भारतीयों ने प्राप्त** की हैं। इस कारण यह वीज़ा फिर से सुर्ख़ियों में आ गया है।

H1-B वीजा के बारे में

- **उद्देश्य:** इसकी शुरुआत **1990 में संयुक्त राज्य अमेरिका में कौशल की कमी को पूरा** करने के लिए की गई थी। इसके तहत नियोक्ताओं को **"उच्च स्तर के कौशल"** की आवश्यकता वाले विशेष व्यवसायों में **आप्रवासी कामगारों को नियुक्त** करने की अनुमति दी जाती है।
- **अवधि:** यह **छह साल तक के लिए वैध** होता है। इस अवधि के बाद, वीज़ा धारक को या तो **कम-से-कम 12 महीने के लिए अमेरिका छोड़ना होता है या स्थायी निवास के लिए आवेदन** करना होता है।

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना (DTVSV), 2024

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 'विवाद से विश्वास योजना' में भाग लेने वाले करदाताओं के लिए **समय-सीमा बढ़ाने की घोषणा** की है।

'प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना' के बारे में

- वित्त मंत्री ने **केंद्रीय बजट 2024** में इस योजना की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य **करदाताओं की आयकर विभाग के साथ विवादों को सुलझाने में मदद** करना है।
- यह योजना करदाताओं को कर विवाद वाली राशि तथा इसके कुछ निश्चित प्रतिशत का भुगतान करके **अपनी बकाया कर देनदारियों का निपटान करने की सुविधा** प्रदान करती है।

स्वेज नहर

हाल ही में, **मिस्र ने स्वेज नहर के नए चैनल के विस्तार का परीक्षण** पूरा किया।

- चैनल का दो-तरफ़ा खंड अब **72 किमी से 82 किमी.** तक फैला हुआ है, जिसकी कुल लंबाई **193 किमी.** है।

स्वेज नहर के बारे में

- **उद्घाटन तिथि:** इस नहर का **निर्माण कार्य 1859 में** शुरू हुआ था, और **1869** में जाकर पूरा हुआ था।
- **अवस्थिति:** यह मिस्र में **स्वेज़ स्थलसंधि को पार** करते हुए **मानव निर्मित जलमार्ग** है।
  - यह नहर **भूमध्य सागर को लाल सागर के माध्यम से हिंद महासागर** से जोड़ती है।
- **महत्त्व: वैश्विक व्यापार का लगभग 12% स्वेज** नहर के माध्यम से संपन्न होता है। **एशिया से आने वाले जहाज 30 कि.मी. चौड़े बाब-अल-मन्देब जलडमरूमध्य** के माध्यम से स्वेज नहर तक पहुंचते हैं।

तीस्ता नदी

पश्चिम बंगाल ने तीस्ता नदी से पाइपलाइनों के माध्यम से खेतों में जल की आपूर्ति करने का निर्णय लिया।

तीस्ता नदी के बारे में

- **लंबाई:** यह **भारत और बांग्लादेश** से होकर बहने वाली **ब्रह्मपुत्र नदी की दाहिने तट की सहायक नदी** है। यह लगभग **400 कि.मी.** लंबी है।
- **उत्पत्ति:** इसकी उत्पत्ति **सिक्किम** में एक हिमनदीय झील **खांगचुंग छो से छोम्बो छू** के रूप में होती है।
  - तीस्ता नदी **सिक्किम और उत्तरी पश्चिम बंगाल के लोगों की जीवन रेखा** है।
- **प्रमुख सहायक नदियां:** लाचुंग छू, चाकुंग छू, जेमु छू, रंगित आदि।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

अज़रबैजान (राजधानी: बाकू)

कजाकिस्तान में अज़रबैजान के एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 38 लोगों की मौत के बाद रूसी राष्ट्रपति ने अजरबैजान के राष्ट्रपति से माफी मांगी है।

अज़रबैजान के बारे में

- **भौतिक विशेषताएं:**
  - **भूमि सीमा:** इसके उत्तर में **रूस;** दक्षिण में **ईरान:** पश्चिम में **आर्मेनिया;** और उत्तर-पश्चिम में **जॉर्जिया** स्थित है।
  - **समुद्री सीमा:** इसके पूर्व में **कैस्पियन सागर** अवस्थित है।
  - **अर्मेनिया के साथ प्रादेशिक विवाद:** दोनों देशों के बीच **नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र** को लेकर विवाद है।
- **भौगोलिक विशेषताएं**
  - **जलवायु:** अत्यधिक विविध जलवायु है। दुनिया के ग्यारह जलवायु क्षेत्रों में से 9 इस देश में मौजूद हैं।
  - **सबसे ऊंची चोटी:** बज़ारदुज़ू (Bazardyuzyu)। यह ग्रेटर काकेशस रेंज में स्थित है।
  - **प्रमुख नदियां:** कुरा, अरास आदि।
  - **प्राकृतिक संसाधन:** तेल और प्राकृतिक गैस, सीसा, जस्ता, आदि।